राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1965/2023

सुनीता कुमारी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुहाना, झुंझुनू।
5. चिकित्सा अधिकारी, उप केन्द्र, रायपुर, अहरन खण्ड बुहाना, झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.08.2023

आदेश की दिनांक : 03.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर यादव, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने अपील में यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को दिनांक 22.09.2021 से वेतन नहीं दिया जा रहा है, उसे दिनांक 22.09.2021 से वेतन दिए जाने का आदेश रिक्त एवं स्वीकृत एएनएम पद के विरूद्ध उप केन्द्र, रायपुर अहिरान बुहाना झुंझुनू से दिए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22.09.2021 के द्वारा उप केन्द्र, रायपुर अहिरान बुहाना, झुंझुनू रिक्त पद के

विरूद्ध एएनएम के पद पर पदस्थापित किया गया था, परंतु अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.09.2022 के द्वारा अधिशेष मानते हुए उप केन्द्र चिला नाडी, जिला बाड़मेर किया गया है, जो अधिशेष मानते हुए किया गया था। जबकि अपीलार्थी अधिशेष कार्मिक नहीं है और अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश को चुनौती देते हुए अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसके क्रियान्वयन को अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 03.11.2022 के द्वारा स्थगित कर दी गई और अपीलार्थी को यथावत कार्यरत रखा जाने का अंतरिम आदेश जारी किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी अधिशेष कार्मिक नहीं है और उसे रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया गया है। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश की पालना में अपीलार्थी उप केन्द्र रायपुर अहिरान बुहाना, झुंझुनू रिक्त पद के विरूद्ध निरंतर उक्त रिक्त पद के विरूद्ध कार्य कर रही है, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को वेतन नहीं दिया जा रहा है।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को दिनांक 22.09.2021 से वेतन नहीं दिया जा रहा है, उसे दिनांक 22.09.2021 से वेतन दिए जाने का आदेश रिक्त एवं स्वीकृत एएनएम पद के विरूद्ध उप केन्द्र, रायपुर अहिरान बुहाना झुंझुनू से दिए जाने के आदेश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22.09.2021 के द्वारा उप केन्द्र, रायपुर अहिरान बुहाना, झुंझुनू रिक्त पद के विरूद्ध एएनएम के पद पर पदस्थापित किया गया था, परंतु अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.09.2022 के द्वारा अधिशेष मानते हुए उप केन्द्र चिला नाडी, जिला बाड़मेर किया गया है, जिसके क्रियान्वयन को अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 03.11.2022 के द्वारा स्थगित कर दी गई और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्यरत रखा गया। जहां तक अपीलार्थी को दिनांक 22.09.2021 से वेतन नहीं दिए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जनहित में अपीलार्थी की सेवाएं जिस पदस्थापन स्थान से ली जा रही हैं। अपीलार्थी उक्त सेवाओं का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को वेतन नहीं दिया जाना सेवा नियमों एवं विधि के विरूद्ध प्रकट होता है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी का वेतन रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापन स्थान उप केन्द्र, रायपुर अहिरान बुहाना झुंझुनू से आहरित किया जावे तथा पूर्व का बकाया वेतन भी अपीलार्थी को प्रदान किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य